उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-25/2206/26-1-2014-सक-1

लखनऊ : दिनांक: 01 अगस्त, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-189/स0क0/स्था-2/72/वै0पत्रा0/2014-15, दिनांक 27-06-2014 में की गयी संस्तुतियों के क्रम में श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज मलिकपुर बखरा कादीपुर, सुल्तानपुर, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शैक्षिक सत्र 2014-15 के मध्य सत्र में दिनांक 31-07-2014 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को उनके कार्य एवं दायित्वों को देखते हुए शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89, दिनांक 21-01-1991 एवं शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक 19-01-1996 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत श्री राज्यपाल महोदय श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज मलिकपुर बखरा कादीपुर, सुल्तानपुर को पूर्ण शिक्षा सत्र, 2014-15 तक अर्थात दिनांक 30-06-2015 तक का सत्र लाभ दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

केदारनाथ
विशेष सचिव।

पृ0सं0-25/2206(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, सुल्तानपुर।
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुल्तानपुर।
5- प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज मलिकपुर बखरा कादीपुर, सुल्तानपुर।
6- श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज मलिकपुर बखरा कादीपुर, सुल्तानपुर।
7- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in